संचिका सं०-ब0-17/स्कीम(दिशा-निर्देश)-30/2025.....201...../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना, दिनांक-13/03/2025

विषयः- **स्कीमों की स्वीकृति के संबंध में स्पष्टीकरण (Clarification) ।**

महाशय,

वित्त विभागीय संकल्प सं0-12888, दिनांक-03.12.2024 द्वारा स्कीमों की स्वीकृति हेतु शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी दिशा-निर्देश संसूचित हैं । इस क्रम में कतिपय बिंदुओं पर प्रशासी विभागों से परामर्श/स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की जा रही है ।

2. वित्त विभागीय संकल्प सं0-12888, दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-20 में निहित प्रावधान के आलोक में कठिनाई के निराकरण हेतु संदर्भित कंडिकाओं का स्पष्टीकरण (Clarification) निम्नवत है :-

क्र0 सं0	मूल प्रावधान	स्पष्टीकरण (Clarification)
1.	**<u>नई स्कीम के संबंध में</u>:-** वित्त विभागीय संकल्प सं0-12888, दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-2(ख) एवं 5(क) (i) में नई स्कीम तथा केन्द्रीय प्रायोजित अथवा केन्द्रीय क्षेत्र की नई स्कीमों को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है- **2(ख)- नई स्कीम**- ''नई स्कीम से तात्पर्य है ऐसा कार्य/परियोजना जो पहली बार आरंभ हो रहा हो अर्थात् ऐसा कार्य/परियोजना जो पूर्व में स्वीकृत नहीं है।'' **5(क)(i)- केन्द्रीय प्रायोजित अथवा केन्द्रीय क्षेत्र की नई स्कीमें**:- ''ऐसे किसी भी नई स्कीमों की स्वीकृति/क्रियान्वयन एवं उनके लिए केन्द्रांश एवं राज्यांश की विमुक्ति संबंधी निर्णय हेतु समीक्षा प्राधिकार लोक वित्त समिति एवं स्वीकृति प्राधिकार मंत्रिपरिषद् होगा ।''	**1.1** इस आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम/केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम अंतर्गत नई स्कीम का अभिप्राय वैसी स्कीम से है, जो स्कीम पहली बार बिहार राज्य में आरंभ हो रही हो तथा जिसका क्रियान्वयन पूर्व से नहीं हो रहा हो । ऐसी किसी भी नई स्कीम की स्वीकृति/क्रियान्वयन एवं उसके लिए केन्द्रांश एवं राज्यांश की विमुक्ति संबंधी निर्णय हेतु समीक्षा प्राधिकार लोक वित्त समिति एवं स्वीकृति प्राधिकार मंत्रिपरिषद् होगा ।
2.	**<u>चालू स्कीम के संबंध में</u>:-** वित्त विभागीय संकल्प सं0-12888, दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-3, 5(क)(ii) एवं 5(ख)(ii) में चालू स्कीम, केन्द्रीय प्रायोजित अथवा केन्द्रीय क्षेत्र की चालू स्कीमों तथा राज्य प्रायोजित चालू स्कीमों को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है- **3.चालू स्कीम**- ''चालू स्कीम से तात्पर्य है ऐसा व्यय जो पूर्व से स्वीकृत हो और उस स्वीकृत	**2.1** केन्द्र प्रायोजित अथवा केन्द्रीय क्षेत्र की चालू स्कीमों का क्रियान्वयन प्रशासनिक स्वीकृति की लागत राशि के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा सकेगा; यदि केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस तरह की स्कीमों में कोई बदलाव किया जाता है तो इसके लिए स्वीकृत राशि की सीमा तक पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की

	कार्य/परियोजना /मद के लिए पूर्व से व्यय किया जा रहा हो । किसी भी स्कीम को उसकी प्रशासनिक स्वीकृति की लागत के आधार पर स्वीकृत राशि के अन्तर्गत ही चालू स्कीम माना जायेगा। इसके लिए पुनः स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी । इसी प्रकार यदि किसी स्कीम की स्वीकृति नीतिगत आधार पर अथवा दर के आधार पर या दोनों आधार पर की गयी है (जैसे छात्रवृत्ति की दर/पेंशन दर) तो ऐसी स्कीम के आवर्ती व्यय हेतु पुनः स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि बजटीय प्रावधान हो, परंतु ऐसी स्वीकृत/चालू स्कीम के ढाँचा (यथा, दर अवयव अथवा अन्य कोई महत्वपूर्ण बिंदु) में परिवर्तन होने की स्थिति में पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता कंडिका-2(क) के अनुसार होगी। स्कीम अंतर्गत सहायक अनुदान वेतन, गैर वेतन एवं परिसम्पत्तियों के निर्माण, सब्सिडी, अंशदान आदि के मामलों में भी यही प्रावधान लागू होगा।'' **5(क) (ii)- केन्द्रीय प्रायोजित अथवा केन्द्रीय क्षेत्र की चालू स्कीमें**-''यदि ऐसी स्कीम में केन्द्रांश एवं राज्यांश के लिए उद्व्यय एवं बजट में उपबंध हो, तो प्रत्येक वर्ष अलग से प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रक्रिया सभी रूप में व्यय की जानेवाली राशि के संबंध में भी प्रभावी होगी। प्रशासी विभाग केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार इन स्कीमों का क्रियान्वयन करेगा तथा उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि की समानुपातिक राशि विमुक्त करने के लिए सक्षम होगा। केन्द्रांश की राशि उपलब्ध होने के उपरांत ही समानुपातिक राज्यांश की राशि विमुक्त की जायेगी । विशेष परिस्थिति में केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए केन्द्रांश की प्रत्याशा में समानुपातिक राज्यांश अथवा केन्द्रांश की प्रत्याशा में केन्द्रांश की विमुक्ति वित्त विभाग एवं मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत ही की जा सकेगी।'' **5(ख) (ii)- राज्य प्रायोजित चालू स्कीमें**- ''राज्य क्षेत्र की चालू स्कीमों के लिये प्रत्येक वर्ष स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, चाहे राशि का व्यय अनुदान के रूप में किया जा रहा हो। ऐसी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत उस वित्तीय वर्ष में उद्व्यय तथा बजट उपबंध के अन्तर्गत राशि विमुक्त करने के लिए प्रशासी विभाग सक्षम होगा । स्कीमों का क्रियान्वयन एवं राशि की विमुक्ति प्रशासी विभाग द्वारा सरकार की मूल स्वीकृति एवं अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा सकेगा। उदाहरण के तौर पर	आवश्यकता नहीं होगी । **2.2** यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी स्कीमें, जो विगत वर्षों से राज्य में संचालित हो रही हों एवं इनके लिए उद्व्यय व बजट में उपबंध उपलब्ध हो तथा चालू व आगामी वर्ष में इन्हीं स्कीमों के तहत स्कीम स्वीकृत की जानी हो, तो वित्त विभागीय संकल्प सं0-12888, दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-2(क) के अनुसार प्रस्तावित स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति दी जायेगी ।

	यदि छात्रवृत्ति की दर में कोई परिवर्तन नहीं है, तो प्रतिवर्ष स्कीमों की प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी और इसे चालू स्कीम की श्रेणी में ही मानते हुए बजट उपबंध के अन्तर्गत राशि विमुक्त की जा सकेगी।''	
3.	<u>पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में</u>:- वित्त विभागीय संकल्प सं0-12888, दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-8 में पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति के संबंध में निम्न प्रावधान किया गया है- **8(क)**- ''किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में, 20 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की स्थिति में, संबंधित योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिये पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जायेगा।'' **8(ख)**- ''यदि स्वीकृत स्कीम के मूल प्राक्कलन में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि संभावित है, तो ऐसी स्कीम के पुनरीक्षित प्राक्कलन में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए विहित स्वीकृति प्राधिकार से एक स्तर ऊपर के प्राधिकार द्वारा स्वीकृति दी जायेगी । विहित स्वीकृति प्राधिकार मंत्रिपरिषद् होने की स्थिति में एक स्तर ऊपर के प्राधिकार के रूप में मंत्रिपरिषद् ही माना जायेगा । पुनरीक्षित प्राक्कलन के आधार पर निर्धारित एक स्तर ऊपर का स्वीकृति प्राधिकार कंडिका-2(क) की सक्षमता तक ही राशि की स्वीकृति प्रदान करेगा ।''	**3.1** यदि किसी स्वीकृत स्कीम के मूल प्राक्कलन में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि संभावित है, तो उस स्कीम के प्राक्कलन पुनरीक्षण हेतु वित्त विभागीय संकल्प सं0-12888, दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-2(क) में विहित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए विहित स्वीकृति प्राधिकार से एक स्तर ऊपर के प्राधिकार द्वारा स्वीकृति दी जायेगी । वैसे मामले, जिनमें एक स्तर ऊपर का प्राधिकार मंत्रिपरिषद् हो उन मामलों में समीक्षा प्राधिकार लोक वित्त समिति होगी। ऐसे मामलों में समीक्षा प्राधिकार लोक वित्त समिति होने के कारण अलग से वित्त विभागीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
4.	<u>नीतिगत निर्णय के संबंध में</u>:- वित्त विभागीय संकल्प सं0-12888, दिनांक-03.12.2024 की कंडिका-16 में नीतिगत निर्णय के संबंध में निम्न प्रावधान किया गया है- **16**- "किसी भी प्रकार के नये वित्तीय निहितार्थ वाले नीतिगत निर्णय विधि विभाग एवं वित्त विभाग की सहमति से मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन से किया जायेगा । पूर्व से स्वीकृत नीतियों के अन्तर्गत किसी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति यथा वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से अपेक्षित होगी।"	**4.1** सभी प्रकार के नये वित्तीय निहितार्थ वाले नीतिगत निर्णय के निमित्त वित्त विभाग की सहमति एवं इसके उपरांत राज्य मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन अपेक्षित होगा। यदि ऐसे वित्तीय निहितार्थ वाले मामले में कोई वैधानिक/विधिक तथ्य सन्निहित हो तो उस पर राज्य मंत्रिपरिषद् के अनुमोदन के पूर्व वित्त विभाग की सहमति के साथ-साथ विधि विभाग की सहमति प्राप्त किया जाना भी अपेक्षित होगा । पूर्व से स्वीकृत नीतियों के अन्तर्गत किसी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकृति यथा वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से अपेक्षित होगी।

विश्वासभाजन

(आनन्द किशोर)
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांकः- ब0-17/स्कीम(दिशा-निर्देश)-30/2025-201/वि०,**पटना, दिनांक-**13/03/2025

प्रतिलिपिः-प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(आनन्द किशोर) 13/3/25
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांकः- ब0-17/स्कीम(दिशा-निर्देश)-30/2025-201/वि०,**पटना, दिनांक-**13/03/2025

प्रतिलिपिः-मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर) 13/3/25
प्रधान सचिव ।

ज्ञापांकः- ब0-17/स्कीम(दिशा-निर्देश)-30/2025-201/वि०,**पटना, दिनांक-**13/03/2025

प्रतिलिपिः-सभी बोर्ड/प्राधिकार/एजेंसी/कंपनी/सोसाइटी के प्रबंध निदेशक/महाप्रबंधक/कार्यपालक निदेशक/निदेशक/अध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आनन्द किशोर) 13/3/25
प्रधान सचिव ।